



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54890

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10704 वर्ष 2026

श्रीमती कल्पना राठौर

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: राजेश कुमार, श्याम सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह आवेदन आवेदक द्वारा विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 23, एटा की अदालत में लंबित परिवाद संख्या 358 वर्ष 2022 (भूपेंद्र गुप्ता बनाम कल्पना), धारा 138 एन.आई. अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा में पारित समन आदेश दिनांक 28.10.2022 और गैर-जमानती वारंट आदेश दिनांक 03.02.2026 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पक्षों के बीच धन का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद दायर किया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि धन के भुगतान के संबंध में कुछ विवाद है, अतः समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबाला एच., 2010 (5) एस.सी.सी. 663 के मामले में दिए गए निर्णय पर अवलम्ब लिया है। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत हैं:

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [द्वारा उद्धृत: अरुण मोहन, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के विषय पर विधि सुधार हेतु कुछ विचार- मामलों के अंबार से निपटना' (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009), पृष्ठ 5]:

"...अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ सजा (जहाँ तक परिवादी का संबंध है) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन का भुगतान सुनिश्चित करने का एक साधन अधिक है। परिवादी की रुचि मुख्य रूप से चेक के लेखक को जेल में देखने के बजाय धन की वसूली में होती है। जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के विरुद्ध जो जेल की सजा काटने को तैयार है, चेक धारक के पास बहुत कम उपचार उपलब्ध है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

यदि हम एक तरफ उन परिवादों की संख्या की जांच करें जिनमें अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'निस्तारण' हो गया और दूसरी तरफ वे मामले जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचे, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा सुलझा लिया गया और केवल एक बहुत छोटी संख्या ही जारी रही।"

18. यह काफी स्पष्ट है कि चेक बाउंस होने के अपराध के संबंध में, उपचार के दंडात्मक पहलू की तुलना में प्रतिपूरक पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान अटार्नी जनरल द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को भी कुछ समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामलों में वास्तव में शमन के माध्यम से समझौता या निस्तारण किया जा रहा है, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों के दौरान, जिससे न्याय प्रदान करने में अनुचित देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जिसमें वे अपने विवाद को हल करने के साधन के रूप में विलंब से शमन का चुनाव करते हैं।.....

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान अटार्नी जनरल का तर्क यह है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार मजिस्ट्रेटों द्वारा परिवादों का संज्ञान लेने के तुरंत बाद शमन का विकल्प चुनने के बजाय अंतिम विकल्प के रूप में इसे चुन रहे हैं। ऐसे व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार हैं और फिर समझौते का मार्ग केवल तभी चुनते हैं जब कोई अन्य मार्ग नहीं बचता। जबकि मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से ऐसे व्यवहार को तर्कसंगत माना जा सकता है, कठोर तथ्य यह है कि शमन का विकल्प चुनने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों के समक्ष लंबित बकाया मामलों में योगदान देती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से निस्तारण या समझौता करने के लिए तैयार है, तो यह आम तौर पर परिवादी के मामले में कुछ बल होने का संकेत है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान ही शमन का चुनाव करें। हालाँकि, यदि अभियुक्त के पास अन्य आधारों के अलावा गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसे वैध बचाव हैं, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है।"

5. अधिवक्ता के अनुरोध पर, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और चेक की राशि का 10 प्रतिशत जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार पर्याप्त कदम उठा सकता है और अभियुक्त को आगे का अवसर प्रदान करेगा जो इस दिशा में प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात, न्यायालय आज से पांच महीने की अवधि के भीतर विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होकर विचारण का सामना करना होगा और न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

8. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उसी अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से बीएनएसएस की धारा 528 के तहत यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

18 मार्च, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"